पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार

कार्यवृत्त

प्रबन्ध मण्डल (Board Of Management) की प्रथम बैठक दिनांक 13.03.2020 पूर्वाह्न 11:00 बजे

कुलपति सभागार, पतंजलि योगपीठ, फेस-1

आज दिनांक 13 मार्च 2020 को पूर्वाह्न 11:00 बजे प्रबन्ध मण्डल की प्रथम बैठक प्रार्थना सभा के साथ प्रारम्भ हुई बैठक में प्रस्तुत कार्यसूची के अनुसार विस्तृत चर्चा एवं विचार-विमर्श उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी:-

क्र. सं.	कार्यवृत्त- चर्चा, अनुमोदन एवं निर्णय।	
1.	कार्यसूची क्र.सं.- 01 दिनांक 08 फरवरी 2020 को आयोजित छठीं विद्वत् परिषद की बैठक में कार्यवृत्त क्र.सं. 04 के अर्न्तगत पुष्टि एवं दीक्षान्त समारोह आयोजन के सम्बन्ध में उल्लिखित बिन्दुओं (i से vii) तक चर्चा उपरान्त प्रबन्ध मण्डल की बैठक से स्वीकृति हेतु अनुमोदन।	दिनांक 08.02.2020 को आयोजित विद्वत् परिषद की बैठक में अनुमोदित निम्न बिन्दुओं पर प्रबन्ध मण्डल में चर्चा उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी- i. **दीक्षांत समारोह की तिथि का निर्धारण:** विद्वत् परिषद में निर्धारित 31 मार्च 2020 की तिथि को दीक्षान्त समारोह के मुख्य अतिथि की उपलब्धि व अनुकूलता अनुसार निश्चित किये जाने के लिये मा0 कुलाधिपति को वार्ता कर सुनिश्चित करने के लिए अधिकृत किया। ii. **स्नातक, परा-स्नातक, पी.एच.डी व पी.जी.डिप्लोमा डिग्रियों के प्रारूप-** विद्वत् परिषद में प्रस्तुत प्रारूप प्रबन्ध मण्डल द्वारा स्वीकृत किया गया। iii. **दीक्षान्त समारोह वेशभूषा-** दीक्षान्त समारोह में पहने जाने वाली वेशभूषा को स्वीकृत कर प्रक्रिया को तीव्र गति से पूर्ण कराने के लिए कहा। iv. **उपाधि-** (अ) वर्ष 2010 से वर्तमान सत्र तक बी.ए., बी.एस.सी, एम.ए.,एम.एस.सी, पी.एच.डी. व पी.जी.डिप्लोमा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को उपाधियां प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। (ब) पूर्व में माननीय कुलपति की प्रत्याशा में प्रदान किए गये 'डिग्री' 'डिप्लोमा' एवं 'सर्टिफिकेट' (वर्ष 2015 तक) को प्रबन्ध मण्डल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। v. **स्वर्ण पदक-** (क) स्वर्ण पदक प्राप्त करने हेतु न्यूनतम योग्यता सत्र 2019 20 प्रत्येक पाठ्यक्रम में कक्षा में प्रथम स्थान पाने वाले व न्यूनतम 70% एवं उससे अधिक प्राप्तांक वाले

		स्नातक/परास्नातक को अन्य निर्धारित नियमों के अनुसार ही स्वर्ण पदक प्रदान किया जाये। सत्र 2020-21 से आगे अग्रिम निर्देशों तक न्यूनतम 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर ही ऐसे स्नातक/परास्नातक को एक कक्षा में एक ही स्वर्ण पदक प्रदान किया जाएगा। (ख) स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले स्नातक/परास्नातक पर किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही न हुयी हो। (ग) सभी सेमेस्टर में किसी भी विषय में पुर्नपरीक्षा न दी हो। (घ) स्नातक/परास्नातक पर किसी भी प्रकार का शुल्क आदि बकाया न हो तथा उसने अदेय प्रमाण-पत्र सम्बन्धित विभाग में जमा कर दिया हो। (ङ) अन्य सभी नियमों के अनुसार सफल होने पर ही सम्बन्धित स्नातक/परास्नातक को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाएगा। vi. उपाधि एवं वेशभूषा शुल्क- (अ) उपाधि हेतु- 1000/- (एक हजार रूपये मात्र) (ब) वेशभूषा हेतु- 3500 (तीन हजार पांच सौ रूपये मात्र) सभी उपरलिखित राशी अभ्यर्थियों को जमा करवानी आवश्यक है। विशेष- जो अभ्यर्थी दीक्षान्त वेशभूषा लेकर जाना चाहेंगे उन्हें 3500/- (तीन हजार पांच सौ रूपये मात्र) देने होंगें एवं जो नहीं लेकर जाना चाहेंगे उनको कटौती स्वरूप रखरखाव शुल्क के रूप में 500/- (पांच सौ रूपये मात्र) काटकर दीक्षान्त समारोह के बाद, वेशभूषा लौटाने पर 3000/- (तीन हजार रूपये मात्र) का सुरक्षा धन वापस कर दिया जाये। vii. प्रायोजक- पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह में जो इच्छुक महानुभाव स्वर्णपदक हेतु दानदाता होना चाहते हैं या अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य या सम्बन्धी के नाम से नामित करना चाहते हैं उन्हें विद्वत् परिषद द्वारा निर्धारित धनराशि 5,00,000/- (पांच लाख रूपये) को सम्बन्धित कोष में जमा कराना होग तथा दानदाता का प्रायोजक काल 50 वर्ष तक रहेगा। इस तरह के प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय में विनियम (Regulation) बनाये जाएं तथा प्रबन्ध मण्डल द्वारा स्वीकृत कराये जायें।
2.	कार्यसूची क्र.सं.- 02 परिनियम	(अ) पूर्व में माननीय कुलपति जी के द्वारा प्रत्याशा में प्रदान किए गये

	(4.4.4 (C) i) के अर्न्तगत पूर्व में माननीय कुलपति की प्रत्याशा में प्रदान किए गये 'डिग्री' 'डिप्लोमा' एवं 'सर्टिफिकेट' (वर्ष 2015 तक) तथा अनुमोदित डिग्री, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट पर चर्चा एवं अनुमोदन।	'डिग्री' 'डिप्लोमा' एवं 'सर्टिफिकेट' (वर्ष 2015 तक) को प्रबन्ध द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। (ब) विद्वत् परिषद के द्वारा अनुमोदित डिग्री, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट के प्रारूप को प्रबन्ध मण्डल द्वारा चर्चा के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी।
3.	कार्यसूची क्र.सं.- 03 पतंजलि विश्वविद्यालय की सील (Seal) विषयक।	08.02.2020 को आयोजित विद्वत् परिषद बैठक के कार्यवृत्त संख्या-01 में अनुमोदित पतंजलि विश्वविद्यालय की सील (Seal) को प्रबन्ध मण्डल द्वारा स्वीकृत किया गया।
4.	कार्यसूची क्र.सं.- 04 पतंजलि विश्वविद्यालय के लोगो (Logo) विषयक।	08.02.2020 को आयोजित विद्वत् परिषद बैठक के कार्यवृत्त संख्या-02 में अनुमोदित पतंजलि विश्वविद्यालय के लोगो (Logo) को प्रबन्ध मण्डल द्वारा स्वीकृत किया गया।
5.	कार्यसूची क्र.सं.- 05 परिनियम 4.4.4 C ii & 9.1.2 & 9.1.3 के अर्न्तगत Allied & Applied Science (Faculty of Science) एवं नये सत्र से अन्य पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए जाने पर चर्चा एवं अनुमोदन।	(अ) 08.02.2020 को आयोजित विद्वत् परिषद बैठक के कार्यवृत्त संख्या-05 में अनुमोदित Faculty of Science के अर्न्तगत Allied & Applied Science विभाग को विश्वविद्यालय में प्रारम्भ करने पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा स्वीकृति दी गई। (ब) माननीय कुलपति महोदय द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित पाठ्यक्रमों (विज्ञान संकाय के अर्न्तगत- जीव विज्ञान विभाग, जैव यांत्रिकी विभाग, एवं रसायन विज्ञान और जैव रसायन विज्ञान विभाग; योग विज्ञान संकाय के अर्न्तगत- शारीरिक शिक्षा एवं खेल विभाग; मानविकी एवं प्राच्य शिक्षा के अन्तर्गत- हिन्दी विभाग को स्वीकृत किया गया। (स) 08.02.2020 को विद्वत् परिषद द्वारा बी.एस-सी. ऑनर्स बॉयोलॉजिकल साईस, बॉयोटेक्निकल साईस, बॉयो कैमेस्ट्री, माइक्रो बॉयोलॉजी, आयुर्वेद बॉयोलॉजी, बॉयोटेक्नोलॉजी एवं भारतीय व्यायाम पद्धति एवं खेल में छः माह का सर्टिफिकेट प्रोग्राम सत्र 2020-21 से विश्वविद्यालय में प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
6.	कार्यसूची क्र.सं.- 06 परिनियम 9. 12.1 - 9.12.3 के अन्तर्गत पतंजलि विश्वविद्यालय में स्वीकृत विभिन्न पदों की योग्यता निर्धारण हेतु चर्चा एवं अनुमोदन।	08.02.2020 को आयोजित विद्वत् परिषद बैठक के कार्यवृत्त संख्या-07 में स्वीकृत पदों- कुलसचिव कार्यालय में निजि सहायक, निजि सचिव एवं परीक्षा नियन्त्रक (CoE) उप कुलसचिव (Deputy Registrar) सहायक सचिव (परीक्षा) (Assistant Registrara Exam) व सहायक सचिव (शैक्षणिक) (Assistant Registrara Academics) की नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित अर्हताएं एवं परिनियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रबन्ध मण्डल द्वारा स्वीकृत किया गया।

7.	कार्यसूची क्र.सं.- 07 पतंजलि विश्वविद्यालय की रिसर्च कमेटी का गठन।	पतंजलि विश्वविद्यालय विनियम संख्या 08, भारत सरकार द्वारा 05 जुलाई 2016 को अधिसूचित किया गया राज-पत्र संख्या 278 व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय स्तर पर अनुसंधान के क्षेत्र में होने वाले कार्यों को और अधिक सुचारू रूप से प्रमाणिकता के साथ करने हेतु कुलसचिव महोदया एवं संकायाध्यक्ष (शिक्षण एवं शोध) द्वारा रिर्सच कमेटी के निम्नलिखित स्वरूप स्वरूप को प्रस्तुत किया गया- 1- प्रति-कुलपति, डॉ. महावीर अग्रवाल - चेयरमैन 2- कुलसचिव, डॉ. प्रवीण पुनिया-- सदस्या 3- संकायाध्यक्ष (शिक्षण एवं शोध), प्रो. वी. के. कटियार- सदस्य 4- संकायाध्यक्ष, मानविकी एवं प्राच्य विद्या अध्ययन- पू. साध्वी देवप्रिया जी, - सदस्या 5- समस्त विभागाध्यक्ष/संबंधित विभाग के वरिष्ठतम संकाय 6- वरिष्ठ वैज्ञानिक/विशेष सदस्य- i. डॉ. अनुराग वार्ष्णेय, उपाध्यक्ष, ड्रग डिस्कवरी डिविजन, पतंजलि अनुसंधान संस्थान। ii. डॉ. वेद प्रिया, वैज्ञानिक, पतंजलि अनुसंधान संस्थान। iii. प्रो. मनोहर लाल आर्य, संस्कृत विभाग। iv. प्रो. पारस गौड़ा, योग विभाग प.वि.वि.- पूर्व से (2016) से रिर्सच कमेटी के सदस्य पूर्व में अनुमोदित (पत्रांक : प.वि. वि/2016/566)। v. डॉ. सरले टेलीस, योग विभाग, प.वि.वि.- पूर्व से (2016) से रिर्सच कमेटी के सदस्य पूर्व में अनुमोदित (पत्रांक : प.वि. वि/2016/566)। vi. डॉ. रुद्र भण्डारी, योग विभाग, प.वि.वि.- पूर्व से (2016) से रिर्सच कमेटी के सदस्य पूर्व में अनुमोदित (पत्रांक : प.वि. वि/2016/566)। 7- योग विभाग से चक्रानुक्रम में एक वर्ष के लिए एक प्राध्यापक-सचिव/समन्वयक। उपरोक्त रिसर्च कमेटी (उच्च स्तरीय शोध समिति) प्रबन्ध मण्डल द्वारा स्वीकृत किया गया।
8.	कार्यसूची क्र.सं.- 08 परिनियम 4.4.5 (D) i के अन्तर्गत विश्वविद्यालय/छात्रावासों में अनुशासन सम्बन्धित नियमों पर चर्चा एवं अनुमोदन।	विश्वविद्यालय एवं छात्रावासों से सम्बन्धित नियमो तथा उपनियमों के पालनार्थ माननीय कुलाधिपति जी द्वारा परिनियम 2.7.0-2.7.4 के अर्न्तगत छात्रों हेतु मा0 प्रति-कुलपति, डॉ. महावीर अग्रवाल को कुलानुशासक तथा पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी को सहायक कुलानुशासक एवं छात्राओं हेतु पूज्या साध्वी डॉ. देवप्रिया को कुलानुशासिका तथा पूज्या साध्वी देवसाधना को सहायक कुलानुशासिका

		नियुक्त करने की संस्तुति प्रबन्ध मण्डल द्वारा की गई।
9.	कार्यसूची क्र.सं.- 09 दिनांक 08 फरवरी 2020 को आयोजित विद्वत् परिषद् की बैठक में कार्यवृत्त क्र.सं.- 11 (12 b) के अनुसार परीक्षाओं के सफल संचालन हेतु जैसे प्रश्न पत्र बैंक, पुस्तिकाओं के स्थानीय स्तर पर जांचने की प्रक्रिया, पारदर्शिता एवं निष्पक्षता) हेतु नियम आदि पर चर्चा।	(अ) परीक्षा प्रणाली की प्रमाणिकता एवं प्रक्रिया को सहज करने हेतु प्रश्नपत्र बैंक निर्माण व इसी से परीक्षा समिति द्वारा नामित प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष आदि द्वारा अन्तिम परीक्षा हेतु प्रश्नपत्रों के निर्माण कार्य को प्रबन्ध मण्डल के सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। (ब) उत्तर पुस्तिकाओं की जांच विश्वविद्यालय से बाहर के मूल्यांकनकर्त्ता के द्वारा करवाने से रिजल्ट तैयार करने में होने वाली देरी से विद्यार्थियों के अगले अर्ध सत्र में प्रवेश पाने की प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की जांचने की प्रक्रिया Table Marking से करवाये जाने को प्रबन्ध मण्डल द्वारा स्वीकार किया गया।
10.	कार्यसूची क्र.सं.- 10 परिनियम 5.4.14 (i) के अन्तर्गत पूर्व में हस्ताक्षरित एम.ओ.यू. आदि पर चर्चा अनुमोदन एवं स्वीकृति।	पतंजलि विश्वविद्यालय द्वारा निम्नलिखित शैक्षिणिक संस्थाओं क्रमशः वांक्वांग डिजिटल यूनिवर्सिटी साउथ कोरिया, एम्स ऋषिकेश, जमशेदपुर वुमन्स कॉजेल जमशेदपुर, देव समाज कॉजेल फॉर वुमन फिरोजपुर पंजाब एवं त्रिभुवन यूनिवर्सिटी नेपाल के साथ पूर्व में किये गये एम.ओ.यू को प्रबन्ध मण्डल द्वारा स्वीकार्यता प्रदान की गयी।
11.	कार्यसूची क्र.सं.- 11 परिनियम 4.4.4 (C) V के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न मदों के अन्तर्गत प्रदान किये जाने वाले पारिश्रमिक (परीक्षा, व्याख्यान आदि से सम्बन्धित) के निर्धारण एवं अनुमोदन के सम्बन्ध में चर्चा।	प्रबन्ध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय में विभिन्न मदों के अन्तर्गत पूर्व में प्रदान किये जाने वाले पारिश्रमिक व्याख्यान एवं परीक्षा आदि से सम्बन्धित को स्वीकृत किया गया तथा भविष्य में आवश्कतानुसार संशोधन हेतु माननीय कुलपति (अध्यक्ष प्रबन्ध मण्डल) को अधिकृत किया गया।
12.	कार्यसूची क्र.सं.- 12 शुल्क मुक्ति के सम्बन्ध में माननीय कुलाधिपति जी एवं कुलपति जी का मार्गदर्शन। (परिनियम 4.4.4 (C) iii)	भविष्य में विश्वविद्यालय में किसी भी विद्यार्थी को शुल्क मुक्ति माननीय कुलाधिपति जी एवं कुलपति जी के द्वारा ही दी जा सकेगी।
13.	कार्यसूची क्र.सं.- 01 Migration from one stream to another. (There should be time limit) I सप्ताह एवं सीट पूर्ण होने पर न दी जाये।	प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह निर्देशित किया गया कि यदि किसी अभ्यर्थी का एक पाठ्यक्रम में प्रवेश हो जाता है तो किसी अन्य पाठ्यक्रम में स्थानांतरित किया जाना सम्भव नहीं होगा। केवल विशेष परिस्थिति में ही स्थानातंरण का अधिकार केवल मा0 कुलपति के पास रहेगा।
14	कार्यसूची क्र.सं.- 02 Ph.D की	(क) पतंजलि विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 की धारा 30 (क)

	प्रवेश परीक्षा में एडमिशन कमेटी में डीन एकेडमिक्स के साथ सम्बन्धित डीन फैकेल्टी, विभागाध्यक्ष,कुलसचिव, प्रति-कुलपति सदस्य हों व अन्तिम सूची कुलसचिव, प्रति-कुलपति के माध्यम से कुलपति के पास स्वीकृति हेतु जाए।	विनियम 8) के अन्तर्गत इस कार्यसूची पर चर्चा हुई तथा प्रबन्ध मण्डल द्वारा Ph.D में भी प्रवेश परीक्षा में एडमिशन कमेटी में निम्न सदस्य रहेंगे 1. 'प्रति-कुलपति', 2. 'कुलसचिव', 3. डीन एकेडमिक्स 4. 'डीन फैकेल्टी', 5, 'विभागाध्यक्ष', सदस्य होंगे/रहेंगे व अन्तिम सूची कुलसचिव, प्रति-कुलपति के माध्यम से कुलपति के पास स्वीकृति हेतु जाए (ख) पी.एच.डी थिसिस जांच प्रक्रिया में सभी थिसिस परीक्षक भारत से ही होंगे। जिसमें से एक उत्तराखण्ड व अन्य उत्तराखण्ड से बाहर भारत के अन्य किसी भी प्रान्त से परन्तु सम्बन्धित विषय पर विशेषज्ञता रखने वाले हो। (ग) शोधार्थी के Supervisor Committee में विश्वविद्यालय या पतंजलि की अन्य संस्थाओं या यू.जी.सी. के दिशा निर्देशों के अनुसार ही Approved Adjunct Faculty Member भी हो सकता है। सह-निर्देशक द्वारा अन्य संस्थान से भी चयनित किया जा सकता है। (ग) पतंजलि विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका 'पतंजलि विश्वविद्यालय प्रभा' को शोध पत्रिका के स्वरूप में परिवर्तन के लिए स्वीकार किया गया।
15	कार्यसूची क्र.सं.- 03 किसी भी कार्यक्रम/कोर्स ऑफ स्टडी में निर्धारित सीट से अधिक न बढ़ायी जाए।	प्रबन्ध मण्डल द्वारा इस कार्यसूची पर सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गई।
16	कार्यसूची क्र.सं.- 04 अ) बी.ए. योग को बी.एस.सी योग विज्ञान के साथ मिलाकर सीट बढ़ा दी जाए तथा जो संस्कृत, गणित, शारीरिक शिक्षा, कला संकाय (10+2 में कला विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों) के लिए खोला जाए। ब) बी.एस.सी में सीट ज्यादा रखी जाए तथा बी.ए. में कम कर दी जाए।	उक्त कार्यसूची पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा अपनी स्वीकृति प्रदान की गयी तथा यथाशीघ्र ही विश्वविद्यालय में लागू करने की प्रक्रिया प्रारम्भ करने का भी निर्देश प्रदान किया गया।
17	कार्यसूची क्र.सं.- 05 पुर्नपरीक्षा वाले विद्यार्थियों का क्या करना है?	सत्र 2019-20 तक के ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 02 या 02 से अधिक बार पुर्नपरीक्षा देने के बावजूद भी सम्बन्धित विषय को उत्तीर्ण नहीं कर पाये हैं उन्हें पुर्नपरीक्षा के लिए एक स्वर्णिम अवसर अवसर प्रदान किया जाए

		ताकि अब तक के ऐसे सभी विद्यार्थीयों को अन्तिम अवसर का लाभ मिल जाए।
18	पतंजलि विश्वविद्यालय अधिनियम-2006 की धारा-22 (2) के अन्तर्गत (परिनियम-4-4-0, (4.4.6- v)) में पतंजलि विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल; विश्वविद्यालय के कुलपति को उन सब निर्णयों के लिये अधिकृत करती है, जो विश्वविद्यालय के हित में अगली प्रबंध मण्डल की बैठक से पहले समय-समय पर लेने आवश्यक होंगे।	
19	माननीय अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय- (क) वर्ष 2020-21 में प्रवेश सम्बन्धित- 1- अन्तिम उत्तीर्ण कक्षा (स्नातक स्तर में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट में: न्यूनतम 60 प्रतिशत एवं स्नातकोत्तर/डिप्लोमा में प्रवेश हेतु स्नातक में: न्यूनतम 55 प्रतिशत) में निर्धारित अंक होने अनिवार्य हैं। 2- प्रवेश पात्रता लिखित परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक। 3- शिविर के अन्तर्गत गतिविधियों के अवलोकन, विश्लेषण तथा साक्षात्कार के आधार पर 40 प्रतिशत अंक। 4- शारीरिक/मेडिकल जाच को मात्र औपचारिकता न मानकर चिकित्सक को निष्पक्षता से अभ्यर्थियों की गहनता से परीक्षण किया जाना चाहिए। अभ्यर्थी (किडनी, हृदय, (फीट) दौरे, अस्थमा अन्य गम्भीर बीमारियों से ग्रसित नहीं होना चाहिए 5- पतंजलि विश्वविद्यालय से स्नातक विद्यार्थियों को यदि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु लिखित प्रवेश पात्रता परीक्षा में छूट प्रदान की जाएगी यद्यपि शिविर में अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करना होगा (विद्यार्थी अनुशासनहीनता का दोषी नहीं होना चाहिए) 6- नवप्रवेशी छात्र/छात्रा तथा अभिभावकों द्वारा विश्वविद्यालय तथा छात्रावास के नियमों, 'रैगिंग' नहीं आदि के पालनार्थ शपथ पत्र (एफिडेविट) अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। (ख) प्रवेश समिति (Admission Committee), Examination Committee, POsH Committee आदि के गठन की जानकारी प्रबन्ध मण्डल को दी गयी। (ग) परिनियम 2.6.0-2.6.2 के अन्तर्गत पूज्या साध्वी डॉ. देवप्रिया जी, विभागाध्यक्ष, दर्शनशास्त्र विभाग को डीन ऑफ फैकेल्टी (Humanities and Anciendt Studies/संकायाध्यक्ष, मानविकी एवं प्राच्य विद्या अध्ययन) की नियुक्ति की संस्तुति की गयी।	

अन्त में कुलसचिव महोदया द्वारा उपस्थित समस्त सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया एवं शांतिपाठ के साथ बैठक का समापन किया गया।

(कुलसचिव)

(प्रति-कुलपति)

(माननीय कुलपति)